कर्मचारी राज्य बिमा निगम

(क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र)

पंचदीप भवन, 108, ना. म. जोशी मार्ग,

लोअर परेल, मुम्बई 400013

<u>अधिवक्ता कृपया ध्यान दे</u>

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई सक्षम व्यवसायिक वकीलो की सूची स्थाई कॉउंसिल के रूप में मनोनयन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है जो कि विभिन्न न्यायालयो एव प्राधिकरणों जैसे कर्मचारी बीमा कोर्ट बांद्रा, मुम्बई स्थित मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट कोर्ट, ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, मुम्बई स्थित सैशन कोर्ट, मुम्बई स्थित उपभोक्ता अदालत और बॉम्बे उच्च न्यायलय आदि में दाखिल मामलो में क. रा . बी. निगम की पैरवी बचाव करे। उक्त सूची बनाने और दिए जाने वाले मामलो का निर्धारण निम्नलिखित शर्तो के अतर्गत होगा :-

1. आवेदकों को क. रा. बी. निगम का प्रतिनिधित्व कर्मचारी बीमा कोर्ट, उपभोक्ता फोरम लेबर कोर्ट आदि में करना होगा और उसे क. रा. बी. अधिनियम की बहुत अच्छी जानकारी अन्य अधिनियमो और सहींताओ के साथ होनी चाहिए।
2. वकील को विभिन्न कोर्टो से क. रा. बी. निगम को मिलने वाले नोटिसो को प्राप्त करना होगा और मामलो को देखने / सँभालने में सक्षम होना होगा तथा यह सुनिचित करना होगा कि क. रा. बी. निगम के विरुद्ध कोई भी एक पक्षीय आदेश (एक्स पार्टी आर्डर) पास न हो।
3. वकील को लिखित विवरण, अपील मेमो, आवेदन पत्र आदि तैयार करने होंगे और क. रा. बी. निगम को विधि सम्बधी राय भी देनी होगी।
4. वकील को कम से कम **पांच वर्ष** का बार कोर्ट और श्रम सम्बधी कानूनी मामलो को सम्बधी का अनुभव होने के साथ- साथ अन्य ट्रिब्यूनलों में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए और हाई कोर्ट में मामलो को देखने का **दस साल** का अनुभव होना चाहिए।

5. सूची में रहने की अवधि के दौरान वकील क. रा. बी. निगम के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं ले सकता है ।
6. वकील आपसी चर्चा तथा बातचीत के बाद निर्धारित की जाने वाली उचित फीस का हक़दार होगा ।
7. केंद्रीय / राज्य सरकार के विधि अधिकारी भी आवेदन कर सकते है तथा वे केंद्रीय / राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई दरो के अनुसार फ़ीस के हक़दार होंगे ।
8. मुम्बई की विभिन्न कोर्टो एव प्राधिकरणों में स्थाई कौंसिल की नियुक्ति के निर्णायक प्राधिकारी **क्षेत्रीय निर्देशक** क. रा. बी. निगम मुम्बई होंगे ।

क. रा. बी. निगम के साथ सूचीबद्ध बनाने में इच्छुक वकील **दस दिनों** के अंदर पूरे विवरण के साथ अपना आवेदन / संक्षिप्त विवरण जमा करवा दे ।

सही
(बी. बी. पुरी)
क्षेत्रीय निर्देशक